जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर (राज.) 335002

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

मैसर्स...

....

....

01. जवाहर नवोदय विद्यालय, महिंयावाली, श्रीगगांनगर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **16.02.2018 से 22.02.2018** तक छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति हेतु सत्र 2017–18 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, **मुहरबन्द निविदांए निर्धारित तिथि 23.02.2018 को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक से कार्यालय समय में पहुंच जानी चाहिए, उक्त तिथि के बाद विलम्ब होने पर निविदाऐं प्राप्त नही की जायेगी, जिसके लिए निविदादाता स्वंय जिम्मेवार होगा।**

02. निविदा के लिफाफे पर जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर **फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा 2017–18** स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।

03. निविदाऐं जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर के प्राचार्य कक्ष अथवा अन्य स्थान में दिनांक **23.02.2018 को 03.00 बजे** खोली जायेगी।

04. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें निविदा फार्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को प्रपत्र की शर्तो की सहमति पर हस्ताक्षर करने होगें।

05. निविदा में अंकित की गई दरें समस्त करो जैसे–जी.एस.टी., वैट कर,उत्पादन शुल्क तथा अन्यकरोंसहित एफ.ओ.आर.जवाहरनवोदय विद्यालय, महियांवाली,श्रीगंगानगर होना चाहिए।

06. निविदा फार्म साफ सुथरे ढ़ंग से द्वारा भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट–छांट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अति आवश्यक है तो उसे साफ–साफ तरीके से करते हुए परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। परन्तु किसी भी दशा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नही की जायेगी।

07. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बतायें रदद् कर सकते है।

08. निविदा में स्वीकृत दरें **30.04.2018** तक के लिए **तथा एम. एण्ड आर. से सम्बन्धित निविदायें जुलाई,2017 से 30जून, 2018** तक मान्य होंगी जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबंध हो जाता है तथा स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा।

09. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) नकद अथवा बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय होगा। धरोहर राशि रूपये................. ड्राफ्ट नं................... .... दिनांक................................ राशि धरोहर राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजनी होगी। जिन निविदाकर्ता को निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हे धरोहर राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छूट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत संबंधित फर्म घरोहर राशि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती है।

10. यदि कोई भी सरकारी संस्था निविदा में आवेदन करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण–पत्र प्रमाणित करवा कर साथ में संलग्न करना होगा।

11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हें कुल अनुमानित क्रय राशि के 10% के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राशि उन्हें निश्चित अवधि 15 दिन. के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

12. **विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबंध समाप्त की तिथि से अगले छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी यदि निविदा अनुबंध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जाएगी।**

13. **निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गई है को आदेश देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को माल की आपूर्ति करनी होगी। यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल भेजने में असफल रहता है तो <u>07 दिन तक देरी के लिए 500/–प्रतिदिन की दर</u> <u>से पेनल्टी देनी होगी</u> उसके उपरान्त आपूर्ति न करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा ले।** इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता की सुरक्षित जमा राशि से की जायेगी। यदि इस संबंध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।

14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफ्ट सामान या स्कीम दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।

15. निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है जिसे निविदा जारीकर्ता/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताएं घटाया जा बढ़ाया जा सकता है।

16. निविदादाता को प्रिन्टेड एम.आर.पी. एवं अनुमोदित दर दोनो में से जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा।

17. प्रिन्टेड एम.आर.पी.(MRP)में जब जब परिवर्तन होगा तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बढी हुई एम.आर.पी.(MRP) का सत्यापन कमेटी के माध्यम से खुले बाजार से करावे और यदि सप्लायर फर्म द्वारा प्रस्तुत कि गई एम.आर.पी.(MRP) दर में कोई अंतर पाया जाता है तों प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि प्राचार्य निविदा करार को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र स्थान से क्रय कराकर हानि की भरपाई सप्लायर फर्म से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा राशि को भी जब्त कर सकता है ।

18. निविदा फार्म में जिस सामान के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेगें। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन है उस दशा में निविदादाता मशीन का स्थापन अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार करेगा तथा उसको संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी देगा।

19. आपूर्ति की गई सामग्री की जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/ कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेश के अनुसार/विनिर्देशन के अनुसार नही पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वंय के खर्चे पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा।

20 ऐसी सामग्री जैसे कपड़ा, स्टेशनरी, जूता चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जॉच किसी सरकारी लैब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जॉच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जॉच एजेन्सी का चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।

21 निविदा उन्हीं फर्मो की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री का आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण–पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत हैं।

22. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज रेल सडक या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके । किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगें और उस हानि की भरपायी उन्हीं के द्वारा की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

23. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी इत्यादि पर होने वाले व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेंगें ।

24. विवादास्पद आइटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आइटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता फर्म का भी होगा, कि आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा।

25. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टैण्डर की शर्ते आदि इस कार्यालय में प्राप्त कर सकता हैं । इन्हे प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता हैं । यदि उसे इन शर्तो या विशेंष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करे तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।

26. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा ।

27. इस सामान्य शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामान की सूची तथा विशिष्ट सामान अनुसार शर्तो का विवरण इस निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं ।

28. ऐसी सामग्री जिसके निमित नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूेने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुंगतान की जाएगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होगें। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। नमूना किसी भी दशा में निविदादाता को वापस नही किया जायेगा।

29. विद्यालय में निविदादाता अवश्य रूपसे ध्यान में रखेगें की निविदा प्रपत्रों के साथ डिमान्ड ड्राफ्ट आवश्यक रूपसे लगाये, यदि कोई निविदादाता निविदा प्रपत्र में डिमान्ड ड्राफ्ट नही लगाती है तो उसको पुनः निविदा निकालने पर प्रपत्र जारी नही किया जायेगा।

30. सभी विवादो का न्याय क्षेत्र **श्रीगंगानगर** होगा ।

31. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करेंगे –
   अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर एवं जी.एस.टी/टैन नं. की सत्यापित प्रतिलिपि।
   ब. निर्धारित धरोहर राशि ।
   स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री ।
   द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र ।
   य. जहां लागू हो, टिन/बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति ।
   र. फर्म बैंक खाते का नम्बर... व आई.एफ.एस.सी.कोड .... बैंक का नाम.. ब्रान्च पता .... ब्रान्च कोड़....................

दिनांक :– ....

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय,
महियांवाली, जिला श्रीगंगानगर

—: धरोहर राशि व निविदा शुल्क का विवरण एवं शर्त सहमति पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगाः—

01. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक........... ....दिनांक........................... जो कि...................................... बैंक द्वारा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया गया है।
02. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये......................... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक.................... जो कि...बैंक द्वारा प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर के नाम से जारी किया गया हैं संलग्न कर दिया गया है।

    उक्त धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गई शर्तो के उल्लघन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा।

निविदा प्रपत्र में अकित शर्त संख्या 01 से 31 तक समस्त शर्ते हमें मान्य है। विशेष रूपसे शर्त संख्या 13 का अवलोकन कर समझ लिया है। जिसके लिए मैं अपनी सहमति लिखित में प्रदान करता हूं।

दिनांक :—

स्थान :—

निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर (मय सील)
फर्म का नाम...
पता...
....
मोबाईल नं...
जी.एस.टी.न...
टीन नं...
ई—मेल..

जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर (प्रथम)

एफ–निविदा / जनविग / श्रीगंगानगर / 2017–18 /   दिनांक :– 15.02.2018

अल्पकालीन निविदा सूचना

विद्यालय द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए निविदाएं फर्नीचर मद एवं अन्य उपकरण के लिए प्रतिष्ठित अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं से निविदांए कार्यालय समय में आमंत्रित की जाती है

विवरण	तिथि
निविदा फार्म बिक्री तिथि	कार्यालय समय में 16.02.18 से 22.02.2018 सांय 04.00 बजे तक
भरी निविदा फार्म विद्यालय में जमा की अन्तिम तिथि	23.02.2018 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा फार्म खोलने की तिथि एवं स्थल	23.02.2018 दोपहर 3.00 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय, महियांवाली, श्रीगंगानगर

निविदाएं विद्यालय की वैब साईट www.jnvsgnr.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

प्राचार्य